भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1434 का उत्तर

तेलंगाना में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना

1434. डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की 13वीं अनुसूची के पैरा-10 में भारतीय रेलवे को तेलंगाना में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा तेलंगाना के काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है; और

(घ) रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करना जोकि किफायती है और युवाओं को रोजगार प्रदान करता है के स्थान पर निजी कंपनियों से प्रस्तावित रेल कोच की खरीद या उनके आयात को रेलवे किस तरह से तर्कसंगत ठहराती है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

तेलंगाना में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में डॉ. जी. रणजीत रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 1434 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, की अनुसूची 13, की मद सं.10 में उल्लिखित है कि "भारतीय रेल, नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर, अलग हुए तेलंगाना राज्य में रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा और राज्य में रेल संपर्क में सुधार करेगा और उस पर त्वरित निर्णय लेगा।"

(ख) तथा (ग): अन्य बातों के साथ-साथ रेल सवारीडिब्बा कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस कार्य में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, इस मामले की रेल मंत्रालय में विस्तृत जांच की जा रही है।

इस समय, मौजूदा क्षमता और मौजूदा कारखानों में क्षमताओं के संवर्धन के लिए बनाई गई योजना भारतीय रेल की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ): इस समय, रेलवे के सवारी डिब्बा कारखानों से उत्पादन योजना को निर्देशित करते हुए बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र से सवारी डिब्बों की खरीद करने की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

*****